जिला योजना (टी0एस0पी0)
संख्या 831/I/2008-03(1)/24/08

प्रेषक,

सौरभ जैन
अपर सचिव
उत्तराखंड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखंड।

ऊर्जा अनुभाग-1

देहरादूनः दिनांक 02 जून 2009

विषयः- वित्तीय वर्ष 2009-10 में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम के लिए अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः-205/xxvII(1)/2009 दिनांक 25.3.09 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को संलग्नक में वर्णित लेखाशीर्षकों में जनपदवार जिला सेक्टर में अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ रू0 523-00 हजार (पांच लाख तेईस हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि जिला नियोजन एवं अनुरक्षण समितियों द्वारा अनुमोदित योजनावार एवं प्लान परिव्यय के अनुसार ही धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे।

2- व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, फाईनैन्सियल हैण्डबुक, स्टोर पर्चेज मूल्य मितव्ययता टैण्डर के विषय में निर्गत आदेश एवं अन्य के सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा, यदि कार्य पर स्वीकृति के पूर्व किसी तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता है, तो वे भी प्राप्त कर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदवार व्यय विवरण जिलाधिकारी के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, उरेडा द्वारा शासन को दिनांक 31.7.2009 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित जनपद के परियोजनाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं पर केन्द्रांश एवं राज्यांश अवमुक्त किये जाने के बाद ही कोषागार से आवश्यक धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जिन योजनाओं में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होती है, उसे प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त कर योजनावार प्राप्त केन्द्रांश की सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.7.2009 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

8- जिलाधिकारियों द्वारा कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। समय से धनराशि का उपयोग न करने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी। भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को यथासमय प्रेषित कर दिया जायेगा।

9– जिलाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्तर–1 में वर्णित शासनादेश दिनांक 25.3.2009 में निहित शर्तों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

10– रू0 50.00 लाख से अधिक की स्वीकृति सम्बन्धित मण्डलायुक्त से सहमति प्राप्त कर जारी की जायेगी।

11– नयें कार्यों पर व्यय करने से पूर्व इनके विस्तृत आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन एवं सक्षम स्तर से प्राप्त की जायेगी।

12– सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और यदि नियमित रूप से शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक (मा0 मुख्यमंत्री जी/मुख्य सचिव) अर्थात् सक्षम स्तर को कार्यवाही करने हेतु अवगत कराया जायेगा।

13– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2810–वैकल्पिक ऊर्जा–आयोजनागत की संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः–यथोक्त।

भवदीय,

(सौरभ जैन)
अपर सचिव।

संख्याः–831/I/2008–03(1)/22/09,तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखंड, देहरादून।
2– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखंड।
3– निदेशक, उरेडा, देहरादून।
4– सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
5– नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग–2
6– प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

(एम0एम0सेमवाल)
अनु सचिव।